संख्याः 70/2016/1562/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2016

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2-निदेशक,
उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ:दिनांक: 27 अक्टूबर, 2016

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा सरंक्षण निधि नियमावली-2016 के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम-2001 के प्राविधानों को उ0प्र0 में क्रियान्वित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 35/2015/656/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2015 दिनांक 02.07.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को 'डेजिगनेटिड एजेन्सी' नामित किया गया है अतः उ0प्र0 राज्य में ऊर्जा के दक्षता पूर्ण उपयोग एवं उसके सरंक्षण हेतु श्री राज्यपाल महोदय ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम-2001 की धारा-16 के साथ पठित धारा-57 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा सरंक्षण निधि नियमावली-2016, को प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shashanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- प्रख्यापित नियमावली की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी में) संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
पार्थ सारथी सेन शर्मा
सचिव।

संख्या व दिनांक: तदैव

उर्पयुक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा सरंक्षण निधि नियमावली-2016 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि योजना की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर (हिन्दी/अंग्रेजी में) अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 को मुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0।
9. उप महानिदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
10. राज्य समन्वयक, सी.ई.ओ. को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को अपने विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

देशराज
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

सं&1562(1)/45-V (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग)/2016

लखनऊः दिनांक 27 अक्टूबर 2016

<u>अधिसूचना</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897 की धारा 21) और ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 52 सन् 2001 की धारा 16) के साथ पठित धारा 57 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा सरंक्षण निधि नियमावली 2011 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 422/चैबीस-पी-3-2012 दिनांक 30 मार्च 2012 का अधिक्रमण करके, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग एवं उसके संरक्षण के संवर्धन के उद्देश्य से निधि के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसे उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली, 2016 कही जायेगीः-

<u>उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली: 2016</u>

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेष राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली- 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएँ:- 2-(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; इस नियमावली में;

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 52 सन् 2001) से है;

(ख) ''समिति'' का तात्पर्य नियम 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति से है;

(ग) ''निधि'' का तात्पर्य नियम 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि से है।

(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ङ) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(च) ''राज्य अभिहित अभिकरण'' का तात्पर्य धारा 15 के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निधि का गठन	3	एक निधि गठित की जायेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि के रूप में जाना जायेगा जिसमें धारा 16 के अधीन उल्लिखित धनराशि जमा की जायेगी।
निधि का प्रबन्धन	4	निधि का प्रबन्ध धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
	5	निधि का उपयोग निम्न के लिए किया जाएगा; -
	(क)	उत्तर प्रदेश राज्य में ऊर्जा के संवर्धन और दक्ष उपयोग एवं उसके संरक्षण का प्रयोजन;
	(ख)	व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, उद्योगों, वाणिज्यिक संगठनों, छात्रों, किसानों आदि के मध्य सूचना प्रसारित करते हुए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों हेतु राज्य अभिहित अभिकरण के माध्यम से व्यय उपगत करना;
	(ग)	ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण हेतु कार्मिकों और विशेषज्ञों के प्रषिक्षण के लिए राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा उपगत व्यय की पूर्ति किया जाना;
	(घ)	ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संवर्धन;
	(ङ)	परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रक्रिया विकसित करने, उपस्करों एवं उपकरणों के ऊर्जा उपभोग के प्रमाणीकरण या सत्यापन एवं परीक्षण हेतु परीक्षण सुविधाओं का सृजन किया जाना;
	(च)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के प्रोत्साहन एवं उनमे योगदान करने के लिये ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता से संबन्धित निदर्शन परियोजनाओं को कार्यान्वित करना और विकसित करना;
	(छ)	उपकरण युक्तियों एवं प्रणालियों के ऊर्जा दक्षता प्रक्रियाओं के उपयोग को संवर्धित करना;
	(ज)	उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाओं के लिए समरूप अनुदान की पूर्ति करना;
	(झ)	अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा उपगत व्ययों की पूर्ति करना;
	()	विशिष्ट रूप से निर्मित ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ के कर्मचारियों पर राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा उपगत किए गये व्ययों की पूर्ति करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

निधि का विनियमन	6	निधि को नियंत्रित और विनियमित करने के उद्देष्य से राज्य स्तरीय संचालन एवं नियंत्रण समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगेः	
	(एक)	प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग	- अध्यक्ष
	(दो)	प्रतिनिधि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत	- सदस्य
	(तीन)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती	- सदस्य
	(चार)	प्रमुख सचिव, उद्योग विकास, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती	- सदस्य
	(पांच)	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती	- सदस्य
	(छः)	प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती	- सदस्य
	(सात)	प्रमुख सचिव, आवास विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती	- सदस्य
	(आठ)	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती	- सदस्य
	(नौ)	निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ	- सदस्य सचिव
	(दस)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	- सदस्य
समिति की बैठक	7	समिति की बैठक, प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।	
समिति के कृत्य	8	समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगें-	
	(क)	ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य अभिहित अभिकरण का मार्गदर्शन एवं सहयोग करना;	
	(ख)	राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा ऊर्जा संरक्षण निधि से ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु वार्षिक बजट अनुमोदित करना;	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	(ग)	राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा निधि से किये गये गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करना।
निधि का संचालन	9-(1)	धारा 15 के खण्ड (घ) के अधीन अधिसूचित राज्य अभिहित अभिकरण, समिति के मार्गदर्शन में निधि संचालित करेगा;
	(2)	राज्य अभिहित अभिकरण, वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व ऊर्जा संरक्षण निधि से वित्त पोषित की जाने वाली गतिविधियों के लिये वार्षिक बजट तैयार करेगा और इसे समिति द्वारा अनुमोदित करायेगा;
	(3)	राज्य अभिहित अभिकरण, वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का अनुश्रवण करते हुए समिति द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार निधि का उपयोग करेगा;
	(4)	राज्य अभिहित अभिकरण, निधि के लेखाओं का अनुरक्षण करेगा और समिति को निधि के आय एवं व्यय संबंधी छमाही विवरण प्रस्तुत करेगा;
	(5)	निधि में जमा धनराषि को ऐसे राष्ट्रीकृत बैंक में जैसा कि समिति द्वारा परामर्श दिया जाये, बचत एवं सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा।
निधि का विनिधान	10 (1)	राज्य अभिहित अभिकरण, निधि की धनराशि का विनिधान इस रूप में करेगा जिससे कि वह भारत सरकार के राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्थाओं में अपने विनिधान का सर्वोत्तम लाभ अर्जित कर सके;
	(2)	राज्य अभिहित अभिकरण, अपनी वार्षिक आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए निधि के ब्याज का उपयोग कर सकता है।
लेखाओं की संपरीक्षाः	11	निधि के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

आज्ञा से,

पार्थ सारथी सेन शर्मा
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।